राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

ToT on "Anti-Human Trafficking"

दिनांक 15.01.2018 से 19.01.2018 तक

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 15.01.2018 से 19.01.2018 तक **ToT on "Anti-Human Trafficking"** विषय पर पॉच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 05 निरीक्षक पुलिस, 06 उप निरीक्षक पुलिस, 06 सहायक उप निरीक्षक पुलिस, 06 हैड़ कानिस्टेबल एवं 01 कानिस्टेबल पुलिस स्तर के कुल 24 अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती नीतू प्रसाद, बाल अधिकार विशेषज्ञ द्वारा मानव तस्करी की अवधारणा व मानव तस्करी के परिणामस्वरूप बच्चों व महिलाओं के विरूद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया। श्री राधाकान्त सक्सेना, (सेवानिवृत) आईजी जेल द्वारा मानव तस्करी, वैश्यावृति, बालश्रम इत्यादि अपराधों से पीडित व्यक्तियों की काउन्सलिंग, पुनर्वास एवं पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आरपीए ने मानव तस्करी संबंधी अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, तलाशी, जप्ती, गिरफ्तारी, चार्जशीट पेश करना व सम्पूर्ण अनुसंधानिक प्रक्रिया संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया। श्री ओमप्रकाश (सेवानिवृत) पुलिस उप अधीक्षक द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के बारे में संवैधानिक प्रावधानों तथा मानव तस्करी के दौरान अपराध के विभिन्न तरीकों एवं पुलिस की भूमिका के बारे में व्याख्यान दिया।

श्री विजय गोयल, बाल अधिकार कार्यकर्ता, जयपुर द्वारा मानव तस्करी के दौरान NGO's की भूमिका, बचाव कार्य एवं पुर्नवास संबंधी विषयों पर विस्तृत व्याख्यान दिया तथा

प्रतिभागियों को, "स्नेहांगन-क्राईसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन" गांधी नगर, जयपुर का भ्रमण करवाया गया। डॉ. अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक, आरपीए, जयपुर द्वारा अनुसंधान के दौरान मानव तस्करी केसेज के अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों पर विस्तृत व्याख्यान देकर Anti-Human Trafficking Unit की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

डॉ. सुमन राव, एपीपी, आरपीए, जयपुर द्वारा मानव तस्करी का संगठित अपराध के रूप में अवधारणा संबंधी कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। श्रीमती प्रीति अग्रवाल, अधिवक्ता, जयपुर द्वारा मानव तस्करी में पीड़ित व्यक्तियों के बचाव व बचाव के पश्चात् पीड़ितों को उपलब्ध करवायी जाने वाली विधिक सहायता, मेडिकल सहायता व पीडितों के पुनर्वास संबंधी कानूनी पहलुओं के बारे में बताया।

श्री आर.एस. शर्मा, (सेवानिवृत) अतिरिक्त निदेशक, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा मानव तस्करी संबंधी अपराधों के अनुसंधान में विधि-विज्ञान शाखा की उपयोगिता व मेडिकल विधि-शास्त्र द्वारा आपराधिक कार्य व आपराधिक कारण को जोड़ते हुए अपराधी तक पहुंचने संबंधी विषय पर विस्तृत चर्चा की।

श्री मुकेश यादव, पुलिस उप अधीक्षक, एसीबी, जयपुर द्वारा मानव तस्करी संबंधी प्रकरणों के अनुसंधान में आधुनिक तकनीकों जैसे सीडीआर विश्लेषण करना, आई.पी. एड्रेस ट्रेस करना व सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों की सहायता से अपराधी तक पहुचने एवं अपराधी को न्यायालय से दण्डित कराने संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया। श्रीमती लाडकुमारी जैन, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर द्वारा मानव तस्करी के विभिन्न कारणों जैसे जातिगत कारण, प्रथागत कारण, व्यवसायिक कारण व आधुनिक पर्यटन व्यवसाय व राजस्थान में मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत चर्चा की।

श्री आवेश सिंह, एडीपी, आरपीए, जयपुर ने भारतीय दण्ड संहिता व अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में उल्लेखित मानव तस्करी संबंधी विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। श्री आलोक सैनी पुलिस निरीक्षक आरपीए द्वारा जे.जे. एक्ट के प्रावधानों एवं पुलिस की भूमिका के संबंध में व्याख्यान दिया।

श्रीमती देवयानी भाटी, प्रोफेसर राजस्थान विश्वविधालय द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा में समाज की भूमिका संबंधी विषयों पर व्याख्यान दिया। श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के उत्थान एवं विकास हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में बताया गया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री ज्ञान प्रकाश नवल, पुलिस उप अधीक्षक, आरपीए, जयपुर द्वारा मानव तस्करी अपराधों के अनुसंधान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भो में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में बताया। उनके द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-प्रत्र वितरित किये जाकर कार्यक्रम के अन्त में कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।